



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 626]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 2010/कार्तिक 21, 1932

No. 626]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 2010/KARTIKA 21, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 907(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक उपनिरीक्षक (आशुलिपिक), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक उपनिरीक्षक (आशुलिपिक), समूह 'ग' भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक उपनिरीक्षक (आशुलिपिक), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 की अनुसूची में,—

स्तंभ 8 के अधीन, मद (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) श्रुतलेख : 10 मिनट @ 80 शब्द प्रतिमिनट

प्रतिलेखन : कम्प्यूटर पर 50 मिनट अंग्रेजी ; या
कम्प्यूटर पर 65 मिनट (हिन्दी)।”

[फा. सं. I-12013/2/2010-संगठन]

एस.सी. सिवाजी राव, उप-सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), में सा.का.नि. 446(अ), तारीख 26 मई, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2010

G.S.R. 907(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Assistant Sub-Inspector (Stenographer), Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2010, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Assistant Sub-Inspector (Stenographer), Group 'C' Post, Recruitment (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indo-Tibetan Border Police Force, Assistant Sub-Inspector (Stenographer), Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2010—

Under column 8, for item (b) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“(b) Dictation : 10 minutes @ 80 words per minute
Transcription : 50 minutes (English) on computer ; or
65 minutes (Hindi) on Computer.”

[F.No. I-12013/2/2010-Org.]

S.C. SHIVAJI RAO, Dy. Secy.

Note :—Principal rules were published vide G.S.R 446(E), dated the 26th May, 2010.